REO - 215

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय उपमुख्य अभियन्ता(आर0ई0)

क्र0जेपीडी / उमुअ(आर.ई.) / अधी.अभि.(आरई) / पत्रा0 1202 / प्रे0 8 जयपुर, दिनांक– 3/6/2010

– आदेश –

विषय – कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना"।

कृषि क्षेत्रों में उपभोक्ताओं द्वारा अनाधिकृत भार बढ़ाने से विद्युत खपत स्वीकृत भार से अधिक हो रही है। विद्युत कोटे का आवंटन स्वीकृत भार के आधार पर किया जाता है जिसमें अनाधिकृत भार वृद्धि से कमी एवं विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं तथा राजस्व की हानि भी हो रही है। कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पूर्व में दिसम्बर 2009 तक लागू की गई, जिसके तहत् कृषि उपभोक्ता यदि अपने कनेक्शन के स्वीकृत भार में अनाधिकृत भार वृद्धि की स्वैच्छिक घोषणा करने का इच्छुक हो तो ऐसे उपभोक्ताओं से कोई पेनल्टी राशि नहीं ली जाने तथा बढ़े हुए भार के लिये मात्र धरोहर राशि लेकर भार को नियमित कर दिये जाने, उपभोक्ता की बिलिंग बढ़े हुए भार के अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये। ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर, जो उसी खसरा / खेत नम्बर / मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिए भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया था।

इस सम्बन्ध में उक्त योजना को 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक एक बार फिर लागू करने का निर्णय लिया गया है जिसमें पिछले आदेशों के निम्न निर्णय भी शामिल किये गये हैं :–

1. इस स्वेच्छिक भार वृद्धि योजना के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं को जिनके कनेक्शनों को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है, उनसे यदि विद्युत लोड की चैकिंग के दौरान भी लोड बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनेल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर लोड नियमित किया जावे।
2. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते हैं किन्तु उनके लिये उन्हें धरोहर राशि के अतिरिक्त रू0 2500 / – प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होंगे।
3. यदि पद (2) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते हैं तो उक्त योजना की समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका लोड स्वीकृत लोड से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रति एच.पी. रू0 (2500+2500) = कुल रूपये 5000 / – मात्र पैनेल्टी जमा करानी होगी।

उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" 1 जून 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक प्रभावी रहेगी।

उक्त योजना की सूचना / जानकारी उपभोक्ताओं को भी दे दी जाये।

आज्ञा से,

3/6/2010

(ए0के0शर्मा)
उपमुख्य अभियन्ता(आर.ई.)